भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 459**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**तमिलनाडु में उज्ज्वला योजना का कार्यान्वयन**

**459. श्री तिरुची शिवाः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उज्ज्वला योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है ताकि तमिलनाडु में तस्करी के पीड़ितों को बचाकर, उनका पुनर्वास कर, उन्हें पुनः समेकित करके उनका प्रत्यावर्तन किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो राज्य में आबंटित और उपयोग में लाई गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा इन निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

1. तमिलनाडु राज्य सहित देश में अवैध व्‍यापार के खतरे का उन्‍मूलन करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा उज्‍ज्‍वला स्‍कीम को कार्यान्वित किया गया है । इस योजना की कल्‍पना मुख्य रूप से एक तरफ अवैध व्‍यापार को रोकने तथा दूसरी तरफ पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, पुन:एकीकरण तथा प्रत्यावर्तन के उद्देश्य से की गई है ।
2. उज्‍ज्‍वला स्‍कीम के तहत इस मंत्रालय ने तमिलनाडु की राज्‍य सरकार को वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए क्रमश: 62.41 लाख रूपए, 52.97 लाख रूपए, तथा 31.99 लाख रूपए आवंटित किए हैं । राज्‍य सरकार द्वारा प्रस्‍तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा व्‍यय विवरणी के अनुसार राज्‍य सरकार ने वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 के लिए आवंटित निधि का पूरी तरह से उपयोग किया है ।
3. उज्‍ज्‍वला स्‍कीम के अंतर्गत राज्‍य स्‍तर तथा केन्‍द्रीय स्‍तर पर परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए तथा साथ ही राज्‍य सरकार द्वारा परियोजना का आवधिक निरीक्षण करने के प्रावधान हैं । इसके अतिरिक्‍त, राज्‍य सरकार को निधि केवल उनसे पिछले निर्मुक्‍त अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्‍यय विवरण तथा उचित प्रारूप में भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्‍त हो जाने के बाद ही रिलीज की जाती है ।

\*\*\*\*\*